

न्याय आपके द्वारा 2018

PP-2018-11

Form No-III

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

18/6/18

अज अदालत

मुकाम

उप जिला कलेक्टर  
श्री विजयनगर

किरम मुकदमा

वी.शाराम, पूनम व सुनीराम  
वनाम  
257 A-R CR

सन् 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियटिव्स जज	नम्बर व तारीख अहम जो इस हुकम की तामिल में जारी किये;
------------	-------------------------------------	--

13.6.18

आज मध्याह्न 12 बजे को मुकदमा नं. 257A-R CR के तहत शरणाग्रित द्वारा फ्रेड चर्च सहकारि अड्डल राजस्व लोक अड्डल - प्राय आपके दार - 2018 उम्प ग्रा.प. 6 APD में फ्रेड उभा, शरणाग्रित को चर्च वहीन रूप में विजयनगर की शील्ड प्रार की शर्तों के अन्तर्गत शील्ड प्रार के शरणाग्रित के अन्तर्गत के चर्च 5 APD 'B' का फर्क 288/394 के कोषा नं. 25 कि.मि. 16 की तरफ उच्च सार्डि में 16-1/2 फुट गैर कि.मि. 24 कि.मि. 17 के उच्च सार्डि निपता शर्तों में 16-1/2 फुट का शर्तों के चर्च गण्ड के निकलने के लिये अल कोर्ड सुगमता के नतीजे परामर्श आपकी शर्तों के अन्तर्गत अपने अल में से सहकारि शरणाग्रित लला है

वी.शाराम

पूनम व सुनीराम

सुनीराम

18/06/2018

न्याय आपके द्वारा 2018

आज मध्याह्न 12 बजे को मुकदमा नं. 257A-R CR के तहत शरणाग्रित द्वारा फ्रेड चर्च सहकारि अड्डल राजस्व लोक अड्डल - प्राय आपके दार - 2018 उम्प ग्रा.प. 6 APD में फ्रेड उभा, शरणाग्रित को चर्च वहीन रूप में विजयनगर की शील्ड प्रार की शर्तों के अन्तर्गत शील्ड प्रार के शरणाग्रित के अन्तर्गत के चर्च 5 APD 'B' का फर्क 288/394 के कोषा नं. 25 कि.मि. 16 की तरफ उच्च सार्डि में 16-1/2 फुट गैर कि.मि. 24 कि.मि. 17 के उच्च सार्डि निपता शर्तों में 16-1/2 फुट का शर्तों के चर्च गण्ड के निकलने के लिये अल कोर्ड सुगमता के नतीजे परामर्श आपकी शर्तों के अन्तर्गत अपने अल में से सहकारि शरणाग्रित लला है

उप जिला कलेक्टर  
श्री विजयनगर


01-02-2019 आज यह फावली तहसील 16/8/2018 द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्णय 13/6/18 में मुं.नं. 288/394 अंतर्गत है। जहाँ जोगलत व उसके स्थान पर मुं.नं. 228/394 अंतर्गत होना चाहिए था जिसे दुबली हेड निवेदन करने पर प्रेषित भी गई।

फावली का आवेदन किया

जहाँ उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्णय दिनांक 13-06-2018 में मुं.नं. 228/394 के स्थान पर मुं.नं. 288/394 अंतर्गत हुआ है जो उच्च न्यायालय लिखित नोटिफिकेशन करते समय अंतर्गत हुआ है। जबकि प्रावधान में अपने आदेश पर मुं.नं. 228/394 अंतर्गत किया है। इस न्यायालय द्वारा जारी निर्णय दिनांक 13-06-2018 में मुं.नं. 288/394 के स्थान पर सही मुं.नं. 228/394 की दुबली किया जाना आवश्यक है।

अतः इस न्यायालय द्वारा जारी निर्णय दिनांक 13-06-2018 में लिखित नोटिफिकेशन की धारा 152 CPC के अन्तर्गत मुं.नं. 288/394 के स्थान पर मुं.नं. 228/394 दुबली करने के आदेश दिए जाते हैं। मूल वाद पर के संबंध निर्णय दिनांक 13/06/2018 में मुं.नं. 288/394 के स्थान पर मुं.नं. 228/394 पढ़ा जावे। इस आदेश का नोट लाव सहायी से अंतर्गत किया जावे। फावली के कर्णशुभ होना चाहिए।

आदेश पुनराज्ञा गया।

  
उप जिला कलेक्टर  
श्री विजयनगर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर

पीढारीन अधिकारी श्री रामरख मोना आर.ए.एस.

अनवान -

1. बीझाराम पुत्र श्री माहीदान जाति मेघवाल निवारी 5 ए.पी.डी.(बी) तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. पूर्णराम उर्फ पूनमचन्द्र पुत्र श्री माहीदान जाति मेघवाल निवारी 5 ए.पी.डी.(बी) तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

-प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजरख श्रीविजयनगर।

-अप्रार्थीगण-

उपरिस्थिति :- पैरोकार राज तहसीलदार राजरख श्रीविजयनगर।

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

प्रकरण संख्या :-44/2018

निर्णय दिनांक:- 13/06/2018

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है:-

प्रार्थीगण द्वारा राजरख लोक अदालत न्याय आफके द्वार - 2018 कैम्प ग्राम पंचायत 6 ए.पी.डी. में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण चक 5 ए.पी.डी. (बी) के साईड निवारीगण है और चक 5 ए.पी.डी.(बी) का प.नं. 228/394 का किला नं. 10, 11, 20, 25, 24 में 0.960 है. कमाण्ड वा 0.127 है. अनकमाण्ड रकबा बीझाराम पुत्र माहीदान जाति मेघवाल के नाम से दर्ज है और पूर्णराम पुत्र श्री माहीदान के नाम से चक 5 ए.पी.डी.(बी) का प.नं. 228/394 का बीधा नम्बर 5, 6, 7 ता 9, 10, 25 का 1.126 है. कमाण्ड वा 0.101 है. अनकमाण्ड कुल 1.227 है. कमाण्ड/अनकमाण्ड रकबा दर्ज है। दोनों पक्षकार अपनी रवेच्छा से चक 5 ए.पी.डी. (बी) का प.नं. 228/394 के बीधा नम्बर 25 में किला नं. 16 की तरफ उत्तर साईड में 16½ फुट रास्ता और किला नं. 24 में किला नं. 17 के चिपता उत्तर साईड में 16½ फुट रास्ता छोड़ने के लिए सहमत है और राजरख रिकॉर्ड में इसका अंकन किया जावे और हमारे द्वारा किसी प्रकार से जमीन के मुआवजा जमीन की मांग नहीं की जायेगी और यह रास्ता हमारे को अपने खेत में आने जाने के लिए आवश्यकता है।

अतः दरो पेश कर निवेदन है कि चक 5 ए.पी.डी.(बी) का प.नं. 228/394 का बीधा नम्बर 25 किला नम्बर 16 की तरफ उत्तर साईड में 16½ फुट और किला नं. 24 किला नं. 17 के उत्तर साईड चिपता रकबा में 16½ फुट का रास्ता स्वीकृत कर राजरख लगातार.....2



21  
श्री जिला न्यायालय  
श्री विजयनगर